

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खंड लो.नि.वि., हरदोई

पत्रांक 1384 / M2. / 16

दिनांक 6-7-16

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट
हरदोई।

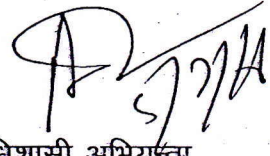
विषय— पलिया लखनऊ मार्ग (रा.मार्ग सं०-25) के किमी 203 की चैनेज 202.100 मी० में बायीं ओर एस्सार. आयल कम्पनी लिमिटेड द्वारा आउटलेट के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में।

संदर्भ— जिलाधिकारी, हरदोई का प०सं० 53/X X-जे.ए.-अनापत्ति प्रमाण-पत्र/16 दिनांक 16.05.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके कम में मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लो०नि०वि० लखनऊ के पत्र संख्या 19263 सी०जेड/4सीजेड (पे०प०)/2016 दिनांक 23.06.2016 के कम में ड्राइंग मूल में प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि., हरदोई।

पत्रांक

दिनांक—

1. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्र०प०) प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० हरदोई को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अमीन प्रान्तीय खंड लो.नि.वि., हरदोई को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि., हरदोई।

पत्रांक-19263

सी०जेड०/४सी०जेड०(पे०पं०)/२०१६

पत्र प्राप्ति सं० २५७७ दिनांक २३-६-१६
पत्रावली सं० २५६६/६

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर पलिया-लखनऊ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-२५) के कि०मी०-२०३ के चैनैज-२०२.१०० मी० में बॉयी ओर एस्सार ऑयल कम्पनी लि० द्वारा आउटलेट स्थापित किये जाने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. प्रस्तावित आउटलेट पलिया-लखनऊ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-२५) के कि०मी०-२०३ के चैनैज-२०२.१०० मी० में मार्ग की मध्य रेखा से २२.८६ मी० की दूरी पर बॉयी ओर पक्का निर्माण कराया जाय।
2. पेट्रोल/डीजल पम्प का लेबल कम से कम १५ सेमी० नीचा तथा सर्विस एरिया का ढाल कम से कम ०२ प्रतिशत ढाल ड्रेन की ओर रखा जाय, ताकि पानी का बहाव मार्ग पर किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए।
3. पेट्रोल/डीजल पम्प एवं विभागीय भूमि के बीच पक्के ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेडिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सकें।
4. सड़क से पेट्रोल/डीजल पम्प तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम ०१ मीटर व्यास की एनपी-३ ह्यूम पाईप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
5. पेट्रोल/डीजल पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम ०३ मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग लो०नि०वि० की जमीन पर न खड़ा किया जाय।
6. लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साइन बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
7. बफर स्ट्रिप कम से कम १२ मीटर लम्बी व ०३ मीटर चौड़ी तथा प्रवेश एवं निकासी गेट कम से कम ०९ मीटर चौड़े होंगे।
8. बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिंग पम्प की दूरी ०७ मीटर से कम नहीं होगी।
9. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
10. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो०नि०वि० का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
11. एस्सार ऑयल कम्पनी लि० के समस्त निर्देशों का पालन एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर उल्लिखित अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
12. आई०आर०सी०-१२-१९८३ में दी गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
14. भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं०-आर०डब्लू०/एन०एच०-३३०२३/१९/९९-डी०ओ०-III, दि० २४.०७.१३ द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि इण्डियन बैंक, इन्दिरा नगर, लखनऊ का डी०डी० सं०-६४०५४८, दि० २५.०५.२०१६ रू० २,३५,०००.०० जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई का पत्र सं०-११५६/एम२/१६, दि० ०९.०६.२०१६ तथा अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव का पत्र संख्या-१५९२सी०/२६सी०-उन्नाव वृत्त/२०१६, दि० १८-०६-२०१६ द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(वी०के० सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (म०क्ष०)
लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, हरदोई।
संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव के पत्र सं०-१५९२सी०/२६सी०-उन्नाव वृत्त/२०१६, दि० १८-०६-२०१६ द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई के पत्र सं०-११५६/एम२/१६, दि० ०९.०६.२०१६ द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, (म०क्ष०)
लो०नि०वि०, लखनऊ